षोडश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 08 चैत्र, 1938 (श0) / 28 मार्च, 2016 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 74

(1)	गृह विभाग	48
(2)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02
(3)	उद्योग विभाग	02
(4)	वित्त विभाग	09
(5)	सामान्य प्रशासन विभाग	04
(6)	गन्ना उद्योग विभाग	06
(7)	निगरानी विभाग	02
(8)	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	01
	कुल योग —	74

घेराबंदी कराना

*1953. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कालाबलुआ पंचायत के ग्राम कालाबलुआ स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 1002, खेसरा नं0 1572, रकबा 45 डिसमिल, खेसरा नं0 1568, रकबा 1 एकड़ 91 डिसमिल, खेसरा नं0 1575, रकबा 29 डिसमिल कुल रकबा 3 एकड़ 15 डिसमिल की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक, घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*1954. श्री नीरज कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला का सोनवर्षा प्रखंड सहरसा अनुमंडल के अन्तर्गत आता है जबकि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के डी0एस0पी0 द्वारा वहाँ की विधि व्यवस्था का संचालन किया जाता है जो नियमतः गलत है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोनवर्षा प्रखंड को सहरसा सदर डी0एस0पी0 के ही द्वारा संचालन करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना से जोड़ना

*1955. श्री अनिरुद्ध सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड के ग्राम पंचायत कुहिला एवं गारा का थाना (पुलिस) संबंधित कार्य कैमूर जिला में होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोचस प्रखंड ग्राम पंचायत कुहिला एवं गारा से नजदीक पड़ता है एवं ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा भी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत कुहिला एवं गारा को रोहतास जिला के कोचस थाना से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1956. श्री सुदामा प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार के अवगीला कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1957. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन अधिनियम 1981 के धारा 36 में राज्य सरकार या ईख बोर्ड को गन्ना के प्रभेदों को उत्तम, सामान्य या अमान्य प्रभेदों में घोषित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना किसी अधिसूचना एवं बिना बोर्ड के परामर्श के ही गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण में कार्यरत 12 चीनी मिलों के द्वारा गन्ना के प्रभेद सी0ओ0एल0के0 8102, सी0ओ0एस0 91269, सी0ओ0एस0 92423, सी0ओ0एस0 95422, सी0ओ0पी0 9206, सी0ओ0एस0 8118, बी0ओ0 128, सी0ओ0 235, सी0ओ0 9102 एवं बी0ओ0 150 को असामान्य प्रभेद घोषित कर चीनी मिलों के द्वारा उत्तम प्रभेद से 20 रुपया प्रति क्विंटल राशि का कम भुगतान किसानों को किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम राशि भुगतान करने वाले दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1958. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत फुलहारा ग्राम पंचायत के फुलहारा गाँव के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रगाह की घेराबंदी

*1959. डॉ0 रंजु गीता—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बोखड़ा के कुराहर (वार्ड नं0 10 एवं बड़ी मौसिमा वार्ड नं0 2 के कब्रगाह की मिट्टी भराई के साथ घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रगाह की मिट्टी भराई एवं घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संवाद बंद करने का औचित्य

*1960. श्री नितिन नवीन—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवम्बर, 2015 में पटना जिला के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक ने पटना स्थित सभी थानों में प्रति सप्ताह के एक दिन को पुलिस पब्लिक संवाद निर्धारित करने का निर्देश दिया था तथा जनवरी, 2016 के प्रथम सप्ताह में जिला के सभी थानों के द्वारा यह संवाद आयोजित भी किया गया परन्तु उसके बाद यह पूर्णतः बंद हो गया, यदि हाँ, तो इस संवाद को बंद करने का औचित्य क्या है ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1961. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के [illegible] में 3 कब्रिस्तान एक ही जगह अवस्थित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खुलवाना

*1962. डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कटरा प्रखंड में 14 पंचायत के मध्य पहसौल बाजार है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार पर एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है एवं जनसंख्या 6000 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जगह पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की मरम्मती

*1963. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत फतेहनगर ग्राम पंचायत के महुआर कब्रिस्तान की 2007 में की गयी घेराबन्दी क्षतिग्रस्त हो गयी है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त कब्रिस्तान की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*1964. मो॰ आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड में घास-फूस एवं झोपड़ी युक्त घरों की अधिकता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष आगलगी की घटनाएं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीनगर प्रखंड में अग्निशाम यंत्र नहीं है, आगलगी की घटना के समय पूर्णियाँ मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र आते हैं, जिसकी दूरी 20 कि॰ मी॰ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीनगर प्रखंड में अग्निशाम यंत्र की व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1965. श्रीमती समता देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी के पतलूका में स्थित थाना का अपना भवन नहीं होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना का अपना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*1966. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के नौरंगिया में नदी थाना है, जिसका क्षेत्र नौरंगिया से वाल्मीकि नगर तक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भेड़िहारी गाँव में नदी थाना नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में अपराधी अपराध कर नदी मार्ग से नेपाल एवं उत्तर प्रदेश राज्य में चले जाते हैं, जबकि नौरंगिया नदी थाने से भेड़िहारी गाँव की दूरी 50 कि0 मी0 से ज्यादा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भेड़िहारी में नदी थाना का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*1967. श्री सुबेदार दास—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण (छपरा) जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत सलीमपुर के तत्कालीन मुखिया पर दिनांक 2 मार्च, 2016 को जानलेवा हमला किया गया, जिसके विरुद्ध डोरा थाना काण्ड संख्या 37/16 दिनांक 2 मार्च, 2016 दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित कांड में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा

*1968. श्री विद्यासागर केसरी—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के पास नये जिला व अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव 10 वर्षों से लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल को जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव पर स्थानीय निकाय और प्रशासन के स्तर पर सहमति प्रदान कर रिपोर्ट तीन वर्ष पूर्व सरकार को भेजी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फारबिसगंज अनुमंडल को जिला का दर्जा देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1969. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर में स्थित लोक नायक जय प्रकाश सदर अस्पताल का अपना जमीन 52 एकड़ है, जिसमें 25 एकड़ जमीन अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीमती सीता देवी, पति-स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, भोला मेहता, पे0-स्व0 मुन्नी लाल मेहता, श्री हरि मंडल, पे0-एतवारी मंडल सहित 56 व्यक्तियों द्वारा 25 एकड़ अस्पताल के जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1970. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज प्रखंड के बलुआ पंचायत अन्तर्गत मुसवाड़िया गाँव स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा स्थापित करना

*1971. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड संग्रामपुर के संग्रामपुर बाजार एक व्यावसायिक केन्द्र है, जिसमें 25-30 हजार लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन वहाँपर एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

राशि ग्रामीण बैंकों में रखना

*1972. श्री ब्रजकिशोर बिन्द--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में कार्यरत अनुसूचित बैंकों में से केवल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एवं बिहार ग्रामीण बैंक का मुख्यालय बिहार में है, जिसमें सरकार का हिस्सा 15 प्रतिशत है, अन्य किसी भी बैंक में बिहार सरकार का कोई हिस्सा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के ग्रामीण बैंकों में हिस्सेदारी एवं मुख्यालय होने के बावजूद सरकारी जमा राशि का लगभग 90 से 95 प्रतिशत अन्य बैंकों में ही जमा किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शत्-प्रतिशत सरकारी जमा राशि बिहार में ग्रामीण बैंकों में रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा की स्थापना

*1973. श्री मुद्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड मुख्यालय में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जिसकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित रहने का औचित्य

*1974. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवगछिया पुलिस जिला बल (बिहार) के सिपाही/96 देवनाथ मिश्र एवं सिपाही महेन्द्र टुडु पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के गोपनीय कार्यालय में विगत् 10 वर्षों से पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसी सरकारी सेवक को एक ही स्थान पर तीन वर्षों के बाद स्थानान्तरित करने का नियम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित सिपाही के एक ही जगह पर 10 वर्षों से पदस्थापित रहने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1975. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के ग्राम-लक्ष्मीपुर, चंडी स्थान के लक्ष्मीपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच रिपोर्ट का प्रकाशन

*1976. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के भजनपुर गाँव में 3 जून, 2011 को पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसकी जाँच के लिये सरकार द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस फायरिंग कांड की जाँच के लिये गठित न्यायिक आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा उक्त आयोग द्वारा सरकार को जाँच रिपोर्ट सौंपा जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त न्यायिक आयोग की जाँच रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1977. श्री दिनकर राम--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सेवी वर्गों का मासिक अंशदान की प्रत्येक वर्ष 1 अप्रील को वार्षिक लेखा संधारण कर अंशदाताओं को संबंधित भविष्य निधि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान वर्ष 2010 से किये जाने के बावजूद सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना द्वारा अंशदाताओं को वर्ष 2012-13 से ही अद्यतन लेखा विवरणी उपलब्ध नहीं कराकर उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अंशदाताओं को अद्यतन लेखा विवरणी उपलब्ध कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1978. <u>श्री अशोक कुमार सिंह (203)</u>—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के नुआंव प्रखंड में कभना एवं डुमरी में कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1979. <u>श्री राम विलास पासवान</u>—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अन्तर्गत ओलगर, पीरपैंती तथा कहलगाँव प्रखंड अन्तर्गत बीरपाना में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा एवं नौकरी देना

*1980. <u>डॉ० रविन्द्र यादव</u>—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में माओवादी/नक्सली हमला के मृतक के आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत झाझा प्रखंड के ग्राम+पो०-करहिया निवासी स्व० शलेन्द्र यादव की हत्या दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को नक्सलियों द्वारा कर दी गई एवं घर की सारी सम्पत्ति लूटकर डैनामाईट से उड़ा दिया गया, जिसकी सूचना जिलाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1368, दिनांक 19 नवम्बर, 2003 द्वारा मुख्यालय को दी गई परन्तु मुआवजा आजतक नहीं दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक की विधवा को मुआवजा एवं नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति

*1981. <u>श्री राहुल तिवारी</u>—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के अन्तर्गत बेलवनिया में विगत 20 वर्षों से ओ०पी० संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेलवनिया में काफी पुराना बाजार एवं काफी घनी आबादी है, परन्तु पूर्णरूपेण ओ०पी० नहीं रहने से आवासित लोगों में काफी भय व्याप्त रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेलवनिया ओ०पी० में स्थायी रूप से दारोगा एवं सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य निर्धारित करना

*1982. श्री सुभाष सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना के पिछले वर्ष के दर 220 रुपये प्रति क्विंटल पर 10 रुपये बढ़ाकर 230 रुपये उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के द्वारा उचित लाभकारी मूल्य घोषित होने के बाद भी चीनी मिल एसोसियेशन एवं राज्य सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना का मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना

*1983. श्री राणा रणधीर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड के गड़हिया पंचायत में दो वर्ष पूर्व एक अतिरिक्त ओ०पी० की स्थापना का निर्णय लिया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ओ०पी० की स्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*1984. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गन्ना पेराई सत्र 2014-15 में किसानों को 5 रुपया प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य बोनस की राशि का भुगतान हेतु गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण के समाहर्ता को 2902.25 करोड़ रुपया संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के पत्रांक-सं०सं०-1/बजट-गो०806/2015-25 बजट, दिनांक 25 जनवरी, 2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण के समाहर्ता के द्वारा गन्ना किसानों के बीच बोनस राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गन्ना किसानों के बोनस की राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तालिमी मरकज केन्द्र खोलना

*1985. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ''पप्पू''—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंडान्तर्गत खजुरी पंचायत के ग्राम-महुअवा में अक्षर आँचल योजनान्तर्गत तालिमी मरकज खोलने हेतु प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा फरवरी, 2015 एवं सितम्बर, 2015 में विभागीय प्रधान सचिव से लिखित अनुरोध किये जाने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक तालिमी मरकज केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1936. मो० नेमतुल्लाह : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी अन्तर्गत चौक सिटी में हैबतजंग का किला तथा मंगलपुर (?) में [illegible] मकबरा [illegible] सौ वर्ष पुराना है;

(2) क्या यह बात सही है कि हैबतजंग के किला एवं मकबरा पर अतिक्रमण कर उसकी भूमि को असामाजिक तत्वों द्वारा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हैबतजंग के किला एवं मकबरे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंकुश लगाना

*1937. श्री अरविन्द प्रसाद : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अन्तर्गत दिनांक 2 मार्च, 2016 को गंगा विहार कॉलोनी (आर०पी०एस० मोड़) [illegible] थाना में श्री [illegible] सिंह की [illegible] में हो गयी, जिसका [illegible] थाना कांड संख्या 93/16 दर्ज है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त घटना की [illegible] सक्रिय [illegible] पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मामलों का निष्पादन

*1938. श्री सुदामा प्रसाद : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में महिला थाना, गाँधी मैदान, [illegible] महिला हिंसा की शिकार, [illegible] आदि से संबंधित मामलों को कानूनी रूप से देखने हेतु स्थापित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि महिला थाना कांड संख्या 48/15, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 सहित अन्य कांडों में न तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुयी है और न किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला थाना, गाँधी मैदान के कांड संख्या 48/15 के अभियुक्त की गिरफ्तारी, अनुसंधान व लंबित मामलों का समय निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल लगाना

*1989. श्री प्रमोद कुमार : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के मोतिहारी एवं चकिया, [illegible] चीनी मिल बंद होने से किसान अपनी गन्ना उपज औने पौने भाव में बेचने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार बंद चीनी मिल को चालू करने या नयी चीनी मिल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1990. श्री विजय कुमार खेमका : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के [illegible] एवं [illegible] में बैंक की शाखा नहीं है, जबकि उक्त सभी स्थानों की आबादी लाख-डेढ़ लाख से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1991. श्रीमती बेबी कुमारी : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुशहरी एवं बोचहां प्रखंड के पदाधिकारी एवं कर्मचारी आवंटित आवासों में नहीं रहते हैं, जिसके कारण स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा आवासों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार उक्त आवासीय भवनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*1992. श्री भाई वीरेन्द्र : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा चीनी मिल के कर्मियों के बकाये का भुगतान निगम द्वारा वर्ष अगस्त, 2010 में लागू संशोधित सेवानिवृत्ति पैकेज के तहत किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पैकेज में बकाये का भुगतान का कट ऑफ डेट दिनांक 30 अप्रैल, 1997 निर्धारित किये जाने के कारण वर्ष 1998 तक कार्यरत सीजनलकर्मियों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि सीजनलकर्मियों में से दो कर्मी श्री [illegible] राम एवं श्रीमती [illegible] देवी की पुत्र पैसा एवं इलाज के अभाव में वर्ष 2011 में मौत हो चुकी है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनाना

*1993. डॉ० रविन्द्र यादव— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखण्ड के भरतखण्ड ओ०पी० 1985 से कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० थाना के रूप में विकसित होने की हर शर्त को पूरा करता है, परन्तु आजतक थाना का दर्जा नहीं मिल सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० को थाना में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

त्वरित कार्रवाई करना

*1994. श्री विजय कुमार सिन्हा— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सजायाफ्ता कैदियों की समस्याओं को सुनने एवं समाधान हेतु प्रत्येक वर्ष कमिटी की बैठक कारा परिसर में करने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कई वर्षों से कोई भी बैठक कारा परिसर में नहीं हुई है, जिसके कारण सजायाफ्ता कैदी मूलभूत समस्याओं से ग्रसित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कमिटी की बैठक कर सजायाफ्ता कैदियों की समस्याओं का समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1995. श्री यदुवंश कुमार यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत एन०एच० 106 किनारे स्थित पुराना पिपरा थाना भाड़े के खपड़ैल मकान में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में अंचल द्वारा थाना को 1 (एक) एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिपरा थाना भवन एवं कार्यरत थाना कर्मी का आवासीय भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

निर्माण कराना

*1996. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना पुराना बाईपास कुम्हरार में एक जोड़ा मजार सदियों पुराना है तथा मजार के साथ एक बीघा का कब्रिस्तान भी है;

(2) क्या यह बात सही है कि जोड़ा मजार को छोड़कर कब्रिस्तान के 18 कट्ठा जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1997. श्री यदुवंश कुमार यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है सुपौल जिला के पिपरा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम, कोसलनियाँ थाना कोसल नगर निर्मली एन०एच० 76 को जोड़नेवाली सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को एन०एच० 76 के नजदीक दबंगों द्वारा अतिक्रमित कर लिये जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मामलों का निष्पादन

*1998. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना से संबंधित क्रमांक 1806, दिनांक 15 मार्च, 2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 में संशोधन कर वैसे चौकीदार/दफादार जिनकी अर्हक सेवा 20 वर्षों की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम नहीं हो तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने पर आश्रितों को नियोजित करने का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये दफादार/चौकीदार को विगत तीन वर्षों से उक्त प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिले में नियोजन हेतु लंबित मामलों का निष्पादन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*1999. श्री (डॉ०) शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर, आजमनगर आदि प्रखण्डों में सुरजापुरी मुस्लिम जाति को पिछड़े वर्ग की अनुसूची-2 के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाता है; लेकिन कदवा प्रखण्ड में सुरजापुरी मुस्लिम जाति का जाति प्रमाण-पत्र विगत दस माह से नहीं बनाया जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में सुरजापुरी मुस्लिम जाति के पिछड़े वर्ग की अनुसूची-2 के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*2000. (डॉ०) रंजू गीता—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो क्या सरकार बाजपट्टी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी बनाना

*2001. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत अशोक धाम मंदिर एक ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ पूरे राज्य से पूजा, शादी तथा मुंडन करने प्रतिदिन सैकड़ों लोग आया करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दूर-दराज से आये यात्रियों को सुरक्षा देने हेतु अशोक धाम में एक पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2002. श्री लाल बाबू राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत सकरा प्रखंड में राजापाकर एवं मछीलिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*2003. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा, मंसूरचक एवं भगवानपुर प्रखंडों में गन्ने की खेती 50 वर्षों से अधिक से हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ के गन्ना उत्पादकों को निकट में कोई चीनी मिल नहीं होने से तथा समय पर गन्ना को चीनी मिल तक नहीं पहुँच पाने से किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बछवाड़ा में चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का स्थानान्तरण

*2004. श्री वीरेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड के शोकहरा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन में थाना चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में थाना संचालित होने के कारण महिला रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना को अन्यत्र स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2005. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के पंचायत ढीकहाँ के ढीकहाँ कब्रिस्तान, ढीकहाँ कामदेवा कब्रिस्तान एवं बंजरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाये का भुगतान

*2006. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ''पप्पू''—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंडान्तर्गत संचालित सासामुसा चीनी मिल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के बकाये का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बकाये का भुगतान कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2007. श्री लाल बाबू राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अन्तर्गत कटेसर, केशोपुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करवाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्पीडी ट्रायल चलाना

*2008. श्री अशोक कुमार सिंह (224)—क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2015 को निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी को भ्रष्ट लोक सेवक के विरुद्ध दर्ज मामले में एक माह के अंदर स्पीडी ट्रायल चालन का निर्देश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि दीन दयाल उपाध्याय इन्टर महाविद्यालय, खजुरिया (बरौली), गोपालगंज के अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य के विरुद्ध 50 लाख के गबन के मामले दिनांक 7 मई, 2015 को निगरानी द्वारा दर्ज किए गये, जिसका प्राथमिकी संख्या 034/2015 है, जिसमें निगरानी विभाग के द्वारा स्पीडी ट्रायल अभीतक प्रारंभ नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कांड का स्पीडी ट्रायल चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*2009. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के पसीया एवं परमानंदपुर गाँव में स्थित कब्रिस्तान को अबतक घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित गाँवों के कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा से मुक्त कराना

*2010. श्रीमती कुंती देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत अतरी विधान सभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में सांसद, विधायक अथवा पंचायत मद द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन जैसे नीमचक बथानी प्रखंड के ग्राम-सरीजी का मो0 उस्मान खाँ, विधायक द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन, नीमचक बथानी प्रखंड के भुसंडातार में स्थित दबंगों द्वारा अवैध प्रखंड के रमन बिगहा का कपिल यादव, नीमचक बथानी प्रखंड के भुसंडातार में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2011. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत कोयलावेलवा की आबादी 5 हजार से ज्यादा है तथा उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई भी शाखा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 5 हजार से अधिक की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोयलावेलवा में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संवर्ग नियमावली बनाना

*2012. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 7 नवम्बर, 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में लम्बित मामलों की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को आई0 टी0 मैनेजर के संवर्ग नियमावली तैयार करने हेतु पत्रांक 21/सी0पी0एल0सी0 35/2013-17995, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 द्वारा निदेशित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आई0टी0 मैनेजर का संवर्ग नियमावली तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण इस संवर्ग के स्थायीकरण की दिशा में आगे कार्रवाई बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आई0टी0 मैनेजर का संवर्ग नियमावली अबतक नहीं तैयार करने का क्या औचित्य है ?

थाना खोलना

*2013. श्री वीरेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखण्ड के पकठौल, धनकौल, पिपरा, तेतराय एवं मिलहाई एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि पकठौल में थाना नहीं होने के कारण नक्सली वारदात बढ़ते चले आते हैं, क्योंकि पकठौल से तेघड़ा थाना की दूरी 14 कि0मी0 है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पकठौल में थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की स्वीकृति

*2014. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि जे० पी० के नेतृत्व में चलाये गये आंदोलन में मीसा/डी० आई० आर० में एक माह से अधिक जेल में रहने वाले कैदियों को पेंशन देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सहरसा थाना कांड संख्या 17/76 दिनांक 10 अक्टूबर, 1976 एवं सौरबाजार थाना कांड संख्या 04/76 आई० आर० के अनुसार राजेन्द्र यादव एवं दिनेश यादव पे० सोमन यादव, साकिन तेघड़ा, थाना महिषी, जिला सहरसा ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 से 8 दिसम्बर, 1976 तक मंडल कारा, सहरसा में विचाराधीन कैदी थे;

(3) क्या यह बात सही है कि गृह (विशेष) विभाग एवं कारा विभाग ने श्री यादव के आवेदन को क्रमशः पत्रांक 773, दिनांक 23 नवम्बर, 2012 एवं पत्रांक 449, दिनांक 22 जनवरी, 2013 के द्वारा कैदी पंजी से सत्यापित करा लिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री यादव को जे० पी० सेनानी पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*2015. श्री समीर कुमार महासेठ : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी में वर्ष 2013 में हुए उग्र आंदोलन में थाना आदि को जला दिया गया था, जो अभी भी जर्जर स्थिति में है;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी खादी भंडार के सामने पुलिस विभाग का लगभग दो एकड़ जमीन खाली है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी में थाना भवन का निर्माण खादी भंडार के निकट उक्त खाली जमीन पर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2016. श्री भोला यादव-- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम सिमरी, पररी, पचसाठा गाँव में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन में अतिक्रमण होता जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों (1) एवं (2) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करायेगी, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2017. श्री नन्द कुमार राय-- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के पंचायत [illegible] के [illegible] कब्रिस्तान एवं [illegible] कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भवनों का निर्माण

*2018. श्री अशोक कुमार(132)-- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत [illegible] थाना एवं शिवाजी नगर ओ० पी० भवनहीन एवं स्टाफ क्वार्टर भी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनहीन थाना के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2019. श्रीमती समता देवी -- क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के [illegible] पंचायत में सरकारी बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत की आबादी 6 हजार से भी अधिक है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बैंक की शाखा खोलने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी पूर्ण कराना

*2020. मो० तौसीफ आलम-- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के मोहम्मद नगर पंचायत के [illegible] कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य वर्ष 2011 में शुरू किया गया, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गाड़ी उपलब्ध कराना

*2021. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड मुख्यालय में अग्निशामक गाड़ी नहीं है जिसके कारण अगलगी के समय काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को स्थानीय पदाधिकारियों का ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट कराया गया था परन्तु आजतक उक्त प्रखंड को गाड़ी उपलब्ध नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अलौली प्रखंड में अग्निशामक गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2022 श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 5,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँवों में बैंक की शाखा की स्थापना करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के खुटहा, रामगढ़ चकंड के आरे एवं नन्दनामा गाँवों की जनसंख्या 6 हजार से अधिक है लेकिन आजतक किसी भी गाँवों में बैंक की कोई शाखा नहीं खुली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित गाँवों में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*2023. श्री संजय सरावगी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 6 जनवरी, 2016 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''चार सालों से निगरानी विभाग की जाँच में फंसे 251 मामले'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में ट्रेप के 53 मामलों में से 30 मामलों में लोक सेवक के खिलाफ 20 विभागों में मामले लम्बित पड़े हुये हैं जिसके कारण विभागीय स्तर पर 43 लोक सेवकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ट्रेप के पिछले 4 सालों से 251 मामले में 199 केसों का अनुसंधान निगरानी विभाग द्वारा अबतक पूरा नहीं किया गया है जिससे ट्रेप मामलों में स्पीडी ट्रायल शुरू नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केसों के अनुसंधान में विलम्ब करनेवाले दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2024. श्री संजय सरावगी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित शीर्षक "बिना नियम कानून चल रही सिक्यूरिटी एजेंसियां" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सिक्यूरिटी एजेंसी को पी०एस०ए०आर०ए० (प्राईवेट सिक्यूरिटी रेगुलेशन) एक्ट 2005 के तहत लाईसेंस लेना अनिवार्य है तथा लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर लाईसेंस रिन्यूवल करने का भी प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2015 में 115 निजी सिक्यूरिटी एजेंसी को गृह विभाग के द्वारा लाईसेंस दी गई थी, जिसमें मात्र 87 सिक्यूरिटी एजेंसी के पास ही लाईसेंस है, 28 निजी सिक्यूरिटी एजेंसी लाईसेंस का समय समाप्त होने के बाद भी संचालित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित 28 सिक्यूरिटी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

———

आर०टी०पी०एस० केन्द्र खोलना

*2025. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर नगर पंचायत के कार्यालय में आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने हेतु केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को अंचल कार्यालय में आर०टी०पी०एस० के तहत आवेदन-पत्र देना पड़ता है जिससे भारी भीड़ के कारण भारी कठिनाईयाँ होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत के कार्यालय में नया आर०टी०पी०एस० केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

———

अनुमंडल बनाना

*2026. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नबीनगर का क्षेत्रफल मगध प्रमंडल में सबसे ज्यादा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नबीनगर अनुमंडल बनाने के सभी मानक को पूरा करता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नबीनगर को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

———

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2016 (ई०) ।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 192—डी०टी०पी०—500